



केन्द्रीय विद्यालय, ओ०एन०जी०सी०, कौलागढ़ रोड, देहरादून- फोन नं. 0135-2754378

वॉक-इन-इंटरव्यू (Walk-in-interview)

सत्र 2020-21 के लिए पूर्ण रूप से अंशकालिक अनुबंध के आधार पर संभावित शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पदों हेतु पैनल तैयार किया जाना है। योग्य एवं इच्छुक आवेदक साक्षात्कार हेतु नीचे दर्शाये गए समयानुसार विद्यालय में प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर जो कि विद्यालय की वेबसाइट <https://ongcdehradun.kvs.ac.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है को पूर्ण रूप से भरकर पंजीकरण एवं साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। शैक्षिक योग्यता एवं अन्य विस्तृत जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट <https://kvsangathan.nic.in> पर देखें।

क्र. सं.	पद एवं विषय	साक्षात्कार का दिन , पंजीकरण समय एवं स्थल	पैनल जिन विद्यालयों के लिए मान्य होगा
1.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक - अंग्रेजी , स्नातकोत्तर शिक्षक - अंग्रेजी , स्नातकोत्तर शिक्षक - कंप्यूटर साइंस / इन्फार्मेटिक्स प्रैक्टिसेज , स्नातकोत्तर शिक्षक (इतिहास) , एवं प्राथमिक शिक्षक	18.02.2020 9:00 AM TO 10:00 AM, KV ONGC	के वि ओ एन जी सी , के वि आई एम् ए के वि एफ आर आई , के वि आई टी बी पी
2.	स्नातकोत्तर शिक्षक (राजनीति शास्त्र) वोकेशनल कोच (एथलेटिक्स , बास्केटबाल , हैंडबॉल , जुडो , टेबल टेनिस , बैडमिंटन , फुटबॉल , क्रिकेट) , योग प्रशिक्षक , संगणक प्रशिक्षक , डॉक्टर , नर्स , काउंसलर , नृत्य प्रशिक्षक एवं आर्ट क्राफ्ट शिक्षक	19.02.2020 9:00 AM TO 10:00 AM, KV ONGC	के वि ओ एन जी सी

(1) दिनांक 31.03.2020 को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष । (2) हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम से अध्यापन में सक्षम । (3) साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा । (4) अभ्यर्थी अपने साथ प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ मूल प्रमाण-पत्रों एवं उनकी छाया प्रतियां तथा पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लाएं । (5) बांछित योग्यता : सभी पदों के लिए कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान । (6) समेकित मासिक मानदेय के०वि०सं०, नई दिल्ली के नियमानुसार होगा । (7) अभ्यर्थियों की संख्या पर विचार कर चयन समिति द्वारा साक्षात्कार पूर्व लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है । (8) सेवा शर्तें -उपरोक्त अंशकालिक /संविदा के आधार पर सेवा देने वाले किसी भी वर्ग का कोई भी दावा केन्द्रीय विद्यालय संगठन में नियमित आधार पर नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा और ना ही वे केन्द्रीय विद्यालय के नियमित अध्यापक वर्ग का हिस्सा होंगे।

प्राचार्या